

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व म

खण्डपीठ रोवा

जिलारी वा म प्रो

निगरानी प्रकरण क्रमांक R5193 II/15

निगरानी प्रकरण क्रमांक  
R5193 II/15  
26/11/15

नागेन्द्र कुमार विश्वकर्मा तनय सहादेव विश्वकर्मा उम्र 35 वर्षी, निवासी  
ग्राम उचेहरा, तहसील उचेहरा, जिला सतना म प्रो-- निगराकार

वनाम

सत्येन्द्र विश्वकर्मा तनय नथूलाल विश्वकर्मा उम्र 30 वर्षी, पेशा  
खेती, निवासी ग्राम उचेहरा, तहसील उचेहरा जिला सतना म प्रो

आवेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्रो मूराजस्व

संहितासन 1959 विरुद्ध आवेश श्रीमान्

राजस्व निरी डाक मण्डल उचेहरा, तह

उचेहरा केरो म प्रो 14R12/2014-15

आवेश कि 30-6-15

श्री. नरेश चंद्र शर्मा द्वारा आवेदक दिनांक 26-11-15 के प्रकरण निगम गया।  
सिडर  
सर्किट कोर्ट रोवा  
सर्किट कोर्ट रोवा

महोदय,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

इस प्रकार है कि विवादित भूमि नं० 143, 144, 145, 146

किता 4 रकबा 0-471 हे स्थित ग्राम मण्डार तलाई, तहो उचेहरा,

जिला सतना मे स्थित है, जिसके मालिक व भूमिस्वामी रामधुलारे तनय

गौरी लोहार साकिन उचेहरा थे, उक्त भूमि को आपसी बटवारा मे

उनके दोनो पुत्र महादेव व सहादेव थे, महादेव की मृत्यु हो जाने के


130

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R. 5193- दो. 115 ..... जिला..... सतना

..... महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा विरुद्ध सत्येन्द्र विश्वकर्मा .....

1	2	3
19-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>महेन्द्र कुमार विश्वकर्मा</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त <u>उम्येहरा</u> तहसील <u>सतना</u> के प्रकरण क्रमांक <u>14/अ.12/14-15</u> में पारित आदेश दिनांक <u>30-6-15</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>14-3-19</u> को कलेक्टर <u>सतना</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य</p>	